

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई-न्यूजलेटर

मार्च 2023



डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष भादूप्रा ने 16 मार्च 23 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस) 2023 पर विश्व शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय नीति सत्र में "डिजिटल अर्थव्यवस्था और आईसीटी के लिए व्यापार वित्तपोषण" पर अपने विचार साझा किए।

## अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

पिछले एक दशक के दौरान डिजिटलीकरण में चरघातांकी वृद्धि ने अर्थव्यवस्था, अविष्कार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्थिरता, शासन और जीवन शैली तक, हर चीज को प्रभावित करते हुए दुनिया में क्रांति ला दी है। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ मूल रूप से व्यापार मॉडल, संस्थानों और समाज को बदल रही हैं। हाल के वर्षों में डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग कई गुना बढ़ गई है और कोविड-19 ने उपयोगकर्ताओं के सभी क्षेत्रों में मांग में वृद्धि को और बढ़ावा दिया है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों।

अतीत में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और सरकार ने दूरसंचार कनेक्टिविटी की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की हैं। इन नीतिगत हस्तक्षेपों से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक कवरेज और उच्च डेटा प्रवाह हुआ है।

हालाँकि, ये सभी प्रयास उपयोगकर्ताओं के डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव के वांछित स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो अब किसी भी समय कहीं से भी काम करना पसंद करते हैं। 5जी नेटवर्क की शुरुआत ने विशेष रूप से इमारतों के अंदर 5जी सेवाओं के निर्बाध अनुभव की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है।

भादूविप्रा ने कनेक्टिविटी की गुणवत्ता का आकलन करने, कनेक्टिविटी प्रदान करने में चुनौतियों की पहचान करने और आगे की राह सुझाने के लिए कई अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भादूविप्रा ने 'क्वेस्ट फॉर ए गुड क्वालिटी नेटवर्क इनसाइड मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स: रीडमैजिनिंग मेथड्स टू इम्प्रूव क्वालिटी' पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया।

उपरोक्त के आधार पर, भादूविप्रा ने एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए स्व-प्रेरणा के आधार पर परामर्श की प्रक्रिया शुरू की जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी विकास गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है। भादूविप्रा ने 07 जुलाई 2022 तक उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करने के लिए 25 मार्च 2022 को "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

प्राप्त टिप्पणियों , ओपन हाउस चर्चा और उसके विश्लेषण के दौरान हितधारकों के साथ हुई चर्चा के आधार पर, "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन अनुशंसाओं का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने पर है, जो पानी, बिजली या अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी अन्य भवन निर्माण सेवाओं की तरह विकास योजना का एक आंतरिक हिस्सा है। डीसीआई को संपत्ति प्रबंधकों (मालिक या डेवलपर या निर्माता आदि), सेवा प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों और विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से भवन विकास के साथ सह-डिजाइन और सहनिर्मित किया जाना है। यह ढांचा युवा पेशेवरों के लिए डीसीआई पेशेवर बनने और डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन, तैनाती और मूल्यांकन का हिस्सा बनने के लिए नौकरी के अवसर भी खोलेगा।

मार्च 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ) द्वारा जारी "इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस डिजिटल कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान" शीर्षक वाले मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (एमबीबीएल) 2016 के परिशिष्ट के माध्यम से भादूविप्रा ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 में 'डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन बिल्डिंग्स' पर एक नया अध्याय भी प्रस्तावित किया है, जिसमें एमबीबीएल में जोड़े गए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित और अपडेट किया गया है।

भादूविप्रा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति प्रबंधकों (डेवलपर्स, बिल्डर्स आदि) द्वारा भवनों में विकसित डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) सभी सेवा प्रदाताओं के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-प्रभार्य आधार पर सुलभ होना चाहिए।

अनुशंसाओं में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों की रेटिंग के लिए ढांचे का विकास भी शामिल है, जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करेगा। भादूविप्रा इमारतों की रेटिंग के लिए अलग से उपयुक्त विनियामक ढांचा तैयार करेगा, जिसमें रेटिंग प्रमाणन का मुद्दा भी शामिल होगा।

[https://traai.gov.in/sites/default/files/Recommendation\\_20022023.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_20022023.pdf)



## परामर्श पत्र

एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ दिनांक 11.05.2022 में दो मुद्दों पर प्राधिकरण की अनुशंसाएं मांगी हैं अर्थात्:

- (i) एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देशों दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क के फार्मूले में गैर-वापसी योग्य एक बार के प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के लिंकेज को हटा दें और
- (ii) 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाया जाए।

इसके अलावा, एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया (एआरओआई) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने दो मुद्दों को प्राधिकरण के विचारार्थ उठाया है अर्थात्:

- (i) निजी एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति देना और
- (ii) मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता।

तदनुसार, भादूप्रि ने 9 फरवरी 2023 को "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें एमआईबी के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों और एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित एआरओआई के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों/विचारों की मांग की गई।



[https://tra.gov.in/sites/default/files/CP\\_09022023\\_0.pdf](https://tra.gov.in/sites/default/files/CP_09022023_0.pdf)

"एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का परिचय" पर परामर्श पत्र।

एक मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीसीआई के विकास के संदर्भ में, विभिन्न देशों ने संसाधनों का उपयोग (स्पेक्ट्रम सहित), लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे/नेटवर्क परत और सेवा/अनुप्रयोग परतों

को अलग करके सेवा वितरण खंड को मजबूत करने के लिए अपने दूरसंचार लाइसेंसिंग ढांचे को संरेखित किया है। इस तरह के ढांचे का लाभ यह है कि वे लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण पर विचार करते हुए बाजार के विकास और समाज के सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

डीसीआई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और स्मार्ट शहरों के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाता है। हाल ही में लॉन्च किया गया 5जी भारत को एक ब्रॉडबैंड सुपरहाइवे में बदल देगा और देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना में सुधार करेगा। इस आलोक में यह भी अनिवार्य है कि सक्रिय और निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप आम साझा करने योग्य डीसीआई और नेटवर्क संसाधनों में वृद्धि, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने, सेवा वितरण खंड को मजबूत करने और उद्योग 4.0 के लिए उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों में 5जी सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक भी साबित हो सकता है।

दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से लाइसेंस की एक नई श्रेणी नामतः 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस (टीआईएल)' के निर्माण और ऐसे लाइसेंस के नियमों और शर्तों, लागू लाइसेंस शुल्क आदि के बारे में सिफारिशें मांगी हैं।

इस संबंध में, एकीकृत लाइसेंस के तहत प्रस्तावित डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (डीसीआईपी) प्राधिकरण पर हितधारकों के विचार जानने के लिए 09 फरवरी 2023 को इस विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया था।

लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2023 तक और प्रति-टिप्पणी, यदि कोई हो, 23 मार्च, 2023 तक।

[https://traigov.in/sites/default/files/Consultation\\_Paper\\_09022023.pdf](https://traigov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_09022023.pdf)



सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 की समीक्षा पर मसौदा 24 फरवरी 2023 को हुआ

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं की मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता नियामक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने 21 मार्च 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006 को अधिसूचित किया। इन विनियमों में मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए एक अभ्यास संहिता शामिल है जिसका अनुपालन सभी बुनियादी सेवा प्रदाताओं, एकीकृत पहुँच सेवा प्रदाताओं और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना है। सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006 में संशोधन दिनांक 25.03.2013 को जारी किया गया था।

अतीत में दूरसंचार नेटवर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कई नई सेवाओं की पेशकश की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से दैनिक/मासिक/वार्षिक आधार पर निश्चित टैरिफ के साथ असीमित डेटा या वॉयस प्लान की शुरुआत के बाद, दी जाने वाली सेवाओं के टैरिफ में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये सभी नए टैरिफ ऑफर उचित उपयोग नीति (एफयूपी) के तहत कुछ सीमाओं के साथ असीमित उपयोग प्रदान करते हैं, जिससे दैनिक आधार पर या सबस्क्राइब्ड टैरिफ की पेशकश की वैधता की समाप्ति तक मदवार बिलिंग से ध्यान हटाकर डेटा या वॉयस या एसएमएस की प्रतिबद्ध मात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वॉइस ओवर डेटा ले जाने वाली एलटीई/5जी तकनीक जैसे नए आईपी आधारित नेटवर्क ने अब बिलिंग को प्रति सेकंड/मिनट-आधारित बिलिंग से डेटा वॉल्यूम-आधारित बिलिंग में स्थानांतरित कर दिया है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं को दी जा रही विभिन्न सेवाओं की सटीक बिलिंग के लिए एक उन्नत, मजबूत और मापनीय आईटी उत्पाद उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने 1 सितंबर 2020 को "सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006' पर एक परामर्श पत्र जारी करके एक सार्वजनिक परामर्श किया, जिसमें क्रमशः 27 अक्टूबर 2020 तक हितधारकों की टिप्पणियां और 10 नवंबर 2020 तक हितधारकों प्रति-टिप्पणियां मांगी गईं।

हालांकि, इस विषय पर पिछले विनियमों और उनके संशोधनों को निरस्त करके अंतिम विनियम जारी करने से पहले, प्राधिकरण ने हितधारकों के विचारार्थ नियमों और दिशानिर्देशों के मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में रखने और आगे की टिप्पणियों, यदि कोई हो, की पेशकश करने का निर्णय लिया।



[https://traai.gov.in/sites/default/files/Draft\\_Regulation\\_24022023.pdf](https://traai.gov.in/sites/default/files/Draft_Regulation_24022023.pdf)

## दिशा-निर्देश

भादूविप्रा ने 16 फरवरी 2023 को एक्सेस प्रदाताओं को हेडर और मैसेज टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने और टीसीसीसीपीआर-2018 के तहत दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अनधिकृत प्रचार को रोकने के लिए निर्देश जारी किए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हेडर और मैसेज टेम्पलेट का उपयोग करके पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) के माध्यम से सभी प्रचार संदेश भेजे जाये, हेडर और मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भादूविप्रा ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के तहत एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए दो अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भादूविप्रा ने पाया है कि कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रमुख संस्थाओं (पीई) के हेडर और मैसेज टेम्पलेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि:

- क) डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और मैसेज टेम्पलेट को फिर से सत्यापित करें और सभी असत्यापित हेडर और मैसेज टेम्पलेट को क्रमशः 30 और 60 दिनों के भीतर ब्लॉक कर दें।
- ख) सुनिश्चित करें कि अस्थायी हेडर उस समयावधि के तुरंत बाद निष्क्रिय कर दिए जाते हैं जिसके लिए ऐसे हेडर बनाए गए थे।
- ग) सुनिश्चित करें कि मैसेज टेम्पलेट में अवांछित सामग्री डालने की सुविधा न हो। यदि आवश्यक हो तो मैसेज प्रसारण में शामिल संस्थाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना और ट्रैक किया जाना चाहिए।

घ) मैसेज के प्राप्तकर्ताओं के बीच भ्रम को दूर करें और उनके दुरुपयोग को रोकें, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग प्रमुख संस्थाओं के नाम पर कोई समान दिखने वाले हेडर (हेडर जो समान रूप से छोटे केस या बड़े केस अक्षरों के संयोजन से बने हैं) को पंजीकृत न किया जाए।

टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के मैसेज पर अंकुश लगाने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि-

- ✓ सभी टेलीमार्केटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नहीं हैं, को मैसेज टेम्पलेट स्क्रबिंग और एक्सेस प्रोवाइडर्स नेटवर्क के माध्यम से मैसेज भेजने से रोके;
- ✓ सुनिश्चित करें कि 10 अंकों की संख्या टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रचार संदेश मैसेज प्रसारित नहीं किए जाते हैं;
- ✓ नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी गड़बड़ी करने वाले टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्यवाही करें और प्रासंगिक कानूनों के अनुसार कार्यवाही भी शुरू करें। एक्सेस सेवा प्रदाता अन्य एक्सेस प्रदाताओं को भी ऐसे टेलीमार्केटर्स के विवरण की सूचना देगा। जो बदले में इन संस्थाओं को अपने नेटवर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक संचार भेजने से रोकेंगे;



[https://traf.gov.in/sites/default/files/Directions\\_16022023.pdf](https://traf.gov.in/sites/default/files/Directions_16022023.pdf)

भादूविप्रा ने 24 फरवरी 2023 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के लिए गुणवत्ता की सेवा (क्यूओएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए।

भादूविप्रा ने "बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम (2009 का 7) दिनांक 20 मार्च 2009 को समय-समय पर संशोधित सेवा की गुणवत्ता के मानक जारी किए हैं। वर्तमान में, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के आधार पर क्यूओएस निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्राधिकरण ने पाया है कि टीएसपी द्वारा प्रदान किए जा रहे क्यूओएस के बेहतर विश्लेषण के लिए क्यूओएस मापदंडों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।



इससे आवश्यकता होने पर, संबंधित राज्य केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को सेवा प्रदाताओं को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

तदनुसार, दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से तिमाही आधार पर बेसिक (वायरलाइन) सेवाओं के लिए विनियम 3 में निर्दिष्ट क्यूओएस पैरामीटर और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए विनियम 5 के 'नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटर' के संबंध में टीएसपी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एलएसए वार डेटा, जैसा कि वर्तमान में विभिन्न निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, विनियम में परिभाषित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करना जारी रहेगा।



[https://traigov.in/sites/default/files/Directions\\_24022023.pdf](https://traigov.in/sites/default/files/Directions_24022023.pdf)

## कार्यशाला

एकता नगर, गुजरात में उपभोक्ता समर्थन की क्षमता निर्माण पर कार्यशाला:



भादूविप्रा ने 23 फरवरी 2023 को एकता नगर (गुजरात) में उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) की क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, उस अवसर पर सलाहकार (सीए) श्री ए.के.सिंह ने विशेष वार्ता की

स्पेक्ट्रम पर एसएटीसी कार्यशाला में श्री मसानोरी कौंडो, एसजी-एपीटी और श्री वी. रघुनंदन, सचिव-भादूविप्रा की समापन टिप्पणियां देते हुए, श्री एस.टी. अब्बास, प्रा. सलाहकार-भादूविप्रा अध्यक्ष-डब्ल्यूजी ने कार्यशाला के परिणाम का सारांश दिया तथा सुश्री वंदना सेठी, सलाहकार-भादूविप्रा ने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।



## संगोष्ठी

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 8 फरवरी 2023 को देहरादून में "डिजिटल संचार: नए रुझान, उपयोग के मामले और चुनौतियां" पर संगोष्ठी

नई तकनीकें, जैसे 5जी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/एमएल, बिग डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचैन जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श, चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने देहरादून में "डिजिटल संचार: नए रुझान, उपयोग के मामले और चुनौतियां" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में आईआईटी, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्रों और विभिन्न उपभोक्ता समूहों/व्यक्तियों के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया।



## ओपन हाउस चर्चा



भादूविप्रा ने दिनांक 17.2.23 को दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का लाभ उठाने के परामर्श पत्र पर ओएचडी आयोजित की



भादूविप्रा ने दिनांक 09.09.2022 को जारी डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए सिस्टम आवश्यकता से संबंधित ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 फरवरी 2023 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

## घटनाएँ

28 फरवरी 2023 को बार्सिलोना, स्पेन में जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 23 के साथ-साथ भादूविप्रा और बीईआरईसी (बॉडी ऑफ यूरोपियन रेगुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमीशन) प्रतिनिधिमंडलों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष-भादूविप्रा और श्री कॉन्स्टेंटिनोस मैसेलोस, बीईआरईसी अध्यक्ष 2023 की अध्यक्षता में हुई।



28 फरवरी 2023 को बार्सिलोना, स्पेन में जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 23 के मौके पर भादूविप्रा और आईसीएसए (इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन्स अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका) के बीच द्विपक्षीय बैठक डॉ. पी. डी. वाघेला, अध्यक्ष- भादूविप्रा एवं डॉ. चार्ली लुईस, कार्यवाहक अध्यक्ष-आईसीएसए के साथ बातचीत करते हुए



डॉ पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने टेलीकॉम एंड पोस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीपीआरए), सूडान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो भादूविप्रा के 3 दिवसीय अध्ययन दौरे पर थे



## टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन

### 1. 31 जनवरी 2023 तक टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा:

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	627.13	25.59	652.72
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	515.89	2.14	518.03
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	<b>1143.02</b>	<b>27.73</b>	<b>1170.75</b>
कुल टेली-घनत्व (%)	82.52	2.00	84.52
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.87	92.29	55.75
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.13	7.71	44.25
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	806.07	33.11	839.18

जनवरी 2023 में व्यस्ततम वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या 1024.81 मिलियन थी।

जनवरी 2023 में एमएनपी के लिए 12.40 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए थे। जनवरी 2023 के अंत तक, इसके लागू होने के बाद से कुल 796.84 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

## अन्य

भादूप्रिा ने 6 फरवरी, 2023 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल की अद्यतन सूची जारी की, जिसके द्वारा एक लेखापरीक्षा फर्म नामतः मैसर्स खिरे खांडेकर एंड किलोस्कर को ऑडिटर्स की सूची से हटा दिया गया है। 28 फरवरी 2023 तक, डीपीओ के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए भादूप्रिा द्वारा पैनलबद्ध किए गए लेखा परीक्षकों की कुल संख्या 53 थी।

भादूविप्रा ने 17 फरवरी, 2023 को "लाइसेंस शुल्क और डीटीएच सेवाओं के नीतिगत मामलों" पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के विस्तार के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हितधारकों के लिए अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

## उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए:

क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	मसूरी (उत्तराखंड)	9 फरवरी 2023
2	गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	15 फरवरी 2023
3	त्रिशूर (केरल)	23 फरवरी 2023
4	एकता नगर (गुजरात)	23 फरवरी 2023
5	ओडिशा	24 फरवरी 2023
6	बीकानेर (राजस्थान)	27 फरवरी 2023



## फोटो गैलरी




9 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा मसूरी (उत्तराखंड) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



15 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



23 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरु द्वारा केरल के त्रिशूर में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 24.02.2023 को ओडिशा में छात्रों के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम। इस ऑनलाइन सीओपी में कुल 6 कॉलेजों ने भाग लिया



27 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा बीकानेर (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली- 110002

हम फेसबुक पर भी हैं! हमसे जुड़ें

<https://www.facebook.com/TRAI/>

हम ट्विटर पर भी हैं! फॉलो करें ! TRAI@TRAI